वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

प्रेस नोट

विषय: **जीवन सुरक्षा उपहार चेक (351 रुपए), सुरक्षा जमा योजना (201 रुपए) तथा जीवन सुरक्षा जमा योजना (5001 रुपए) के जरिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत नामांकन की सुविधा हेतु 'सुरक्षा बंधन' अभियान पहल।**

09 अगस्त, 2015

दो अत्यंत वहनीय एवं सुविधाजनक अभिदान वाली बीमा योजनाओं, नामत: **12 रुपए** वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना तथा अपंगता कवर के संबंध में **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)** तथा 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के सावधि जीवन कवर के लिए **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)**, जिनका शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 09 मई, 2015 को किया गया था, के संबंध में अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के लिए आगामी **रक्षाबंधन** त्यौहार की पृष्ठभूमि में अगस्त-सितम्बर माह में सहभागी बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा विशेष नामांकन अभियान आरंभ किया जा रहा है। यह अभियान पात्र बैंक खाताधारकों, जिन्हें इन योजनाओं के अंतर्गत अभी नामांकित किया जाना है, तक पहुंचेगा।

2. इस **'सुरक्षा बंधन'** अभियान का लक्ष्य देश में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, जो मुख्यत: गरीबों तथा वंचितों पर केन्द्रित है। अभिकल्पित सामाजिक सुरक्षा पहल में उपर्युक्त दो बीमा योजनाओं के साथ आरंभ की गई **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** को भी शामिल किया गया है, जो अभिदाता को कार्यकाल की अवधि के दौरान नियमित अंशदान करने पर 60 वर्ष की आयु में गारंटीयुक्त पेंशन उपलब्ध कराकर वृद्धावस्था आय सुरक्षा की समस्या का समाधान करता है, इसमें 31 दिसम्बर, 2015 तक नामांकित पात्र अभिदाताओं के लिए निर्धारित सरकारी अंशदान की सुविधा उपलब्ध है।

3. सहभागी बैंक सहभागी बीमा कंपनियों के सहयोग से इस अभियान के दौरान स्थानीय सम्पर्क, जागरुकता सृजन तथा नामांकन सुविधा के लिए कार्य करेंगे। सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन के लिए अपनी बैंक शाखाओं से सम्पर्क करें।

4. लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा समर्थित सार्वजनिक सेवा संगठनों, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र तथा बैंकों/बीमा कंपनियों के साथ कार्यरत सरकारी विभाग/मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों से यह आशा है कि वे इस अवधि के दौरान पहुंच अभियान/शिविरों आदि के जरिए बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे।

5. **पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेजेबीवाई योजनाओं के तहत नामांकन हेतु अंतिम तिथि ,सितंबर 302015 तक बढ़ा दी गयी है,** और इस अवधि के दौरान नामांकन कराने वाले व्यक्तियों को पीएमजेजेबीवाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की - आवश्यकता नहीं होगी। पीएमएसबीवाई नामांकन के लिए किसी भी हालत में ऐसे सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. रक्षाबंधन के परिदृश्य में अवधारित अभियान को**जीवन सुरक्षा उपहार चेकों** के माध्यम से मदद की जाएगीजो कि प्राप्तकर्ता द्वारा पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के , लिए एक वर्ष के प्रीमियम के भुगतान को सुकर बनाने के लिए उपहार प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए बैंक शाखाओं से **रुपए 351** में खरीद हेतु उपलब्ध होंगे। उपहार चेक का प्राप्तकर्ता पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के एक वर्ष के अभिदान को कवर करने के लिए लिखत को अपने बैंक खाते में **) रुपए 34212 रुपए +330 रुपए(** की वसूल होने योग्य कीमत के लिए जमा करेगारुपए का शेष 9 रुपए के क्रय मूल्य से 351 करेगी।/ जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा प्रभार के रूप मे रख लिया जाएगा।

7. ,इसके अतिरिक्तबैंक **सुरक्षा जमा योजना** और **जीवन सुरक्षा जमा योजना** के तहत खातेदारों को स्वयं अपने आप नकदनियमित चेक इत्यादि अथवा रक्षाबंधन के त्यौहार के , नियमित चेकों इत्यादि के आधार पर पीएमएसबीवाई के /मौके पर उपहार में प्राप्त नकद 201 दीर्घावधिक अभिदान अथवा पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई दोनों के लिए क्रमशः 5001 रुपए अथवारुपए जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना सुकर बनाएगा।

8. सुरक्षा जमा योजना के अंतर्गतअवधारित रुपए की जमा राशि का उपयोग 201 रुपए प्रत्येक की दो वार्षिक 12 व्यक्ति द्वारा पीएमएसबीवाई के लिए उचित समय पर वर्षों के ल 10 से 5 रुपए 177 भुगतानों का भुगतान करने और शेषिए सावधि जमा राशि के लिए होंगे जिनसे प्रत्येक वर्ष संचित ब्याज से भविष्य के पीएमएसबीवाई (एफडी) अभिदानों का अपने बैंक खाते द्वारा भुगतान किया जाएगा।

9. रुपयों का 5001 जीवन सुरक्षा जमा योजना के तहत जमा किए गए ,इसी प्रकार उपयोग उचित समय पर पीएमएसबीवाई तथापीएमजेजेबीवाई के अभिदान हेतु रुपए 342)12 रुपए +330 रुपएरुपए को 684 के दो वार्षिक भुगतानों का भुगतान करने हेतु (वर्षों के लिए सावधि जमा राशि 10 से 5 रुपए 4317 आरक्षित किया जाएगा तथा शेष के लिए होंगे जिनसे प्रत्येक वर्ष संचित ब्याज से भविष्य के पीए (एफडी)मएसबीवाई अभिदानों का अपने बैंक खाते द्वारा भुगतान किया जाएगा।